15/6/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
तहसीलदार लालसोट की रिपोर्ट। वकील
प्रार्थी को सुना गया रिपोर्ट का अवलोकन
किया रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढ़ी किया
जाना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्थरगढ़ी
स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार
लालसोट को आदेश दिये जाते है कि
वे उपल गिरदावर/पटवारी/पान
की टीम गठित किया जाकर पत्थरगढ़ी
सीमाज्ञान करावें। बाद फैसला नियमानुसार
दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लालसोट(दौसा)

किस्म मुकदमा फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

मु0नं0 11/22 नरेश बनाम् राज0 सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15–06–2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण श्री रामबाबू शर्मा एड़वोकेट उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 में दिनांक 14–06–2022 को रिपोर्ट आ चुकी है। ख0नं0 643/264 रकबा 20 बीघा भूमि ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। प्रार्थी उक्त जमीन के खातेदार है। दिनांक 14–06–2022 को तहसीलदार द्वारा भूमि की रिपोर्ट भी आ चुकी है। प्रार्थी मुताबिक रिपोर्ट भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। मेरे विनम्र मत में ख0नं0 643/264 रकबा 20 बीघा का मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 14–06–2022 की शर्त के आधार पर पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट तथा तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रस्तुत बिन्दूवार रिपोर्ट का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया है। मेरे विनम्र मत में प्रकरण में सीमाज्ञान की शर्त के आधार पर उपरोक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना उचित है। अतः तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता हैं कि दो कुशल गिरदावर/पटवारीयो की टीम गठित कर उपरोक्त वर्णित आराजीयात भूमि 643/264 रकबा 20 बीघा ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा का रिपोर्ट की शर्त के अनुसार मौके पर जाकर जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी कायम करवायी जावे एवं राजकीय शुल्क प्रार्थी से नियमानुसार प्राप्त करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार लालसोट को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज०)	